मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–उमा मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 120 / 2025

1. सुनील कुमार पुत्र स्व. ओमप्रकाश पुत्र पृथ्वीराज जाति मेघवाल साकिन काहनेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. पूर्णराम पुत्र पृथ्वीराज जाति मेघवाल साकिन काहनेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

वादीगण

बनाम

1. बुगी देवी पत्नी स्व. पृथ्वीराज जाति मेघवाल साकिन काहनेवाला
2. रामी देवी पत्नी स्व. ओमप्रकाश तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
3. इन्द्रा पुत्री स्व. ओमप्रकाश पत्नी प्रेमकुमार जाति मेघवाल साकिन 5 एसजीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान
4. वर्षा पुत्री स्व. ओमप्रकाश पत्नी कृष्णलाल जाति मेघवाल साकिन 5 एसजीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. पूजा स्व. ओमप्रकाश पत्नी हेतराम जाति मेघवाल साकिन घमुड़वाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
6. सुमित्रा देवी पुत्री स्व. पृथ्वीराज पत्नी कालूराम जाति मेघवाल साकिन पक्का भादंवा तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री

दिनांक :–27/10/25

वादीगण की ओर से श्री **संदीप सैन अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या** 1 ता 6 की ओर से श्री विनोद कुमार बिश्नोई **अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद** मे आज **दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये **पेश होनें** पर आदेश किया [illegible] डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा एवं **सहमती** के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे **निम्नानुसार घोषणा की जाती है** कि **चक 29 जेआरके के खाता सं. 31/29 के [illegible] 243 (21) किला नं. [illegible] 8, 9, 10 की 0.889 हैक. नहरी खातेदारी के वादी[illegible] ब.हि.ब. के खातेदार [illegible] घोषित किये जातें है।**

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें **तथा** अन्य किसी भी न्यायालय का कोई

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.31 16:35:07 IST
Reason: SelfAttested

स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 27/10/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टरएव
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.31 16:35:07 IST
Reason: SelfAttested